

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

आदेश

संख्या-02/विविध-04/2018, परि०.....681

पटना, दिनांक-30/01/18

व्हील बेस रिविजन (संशोधन), बिहार मोटरगाड़ी नियमावली-1992, बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम-1994 एवं अन्य विभागीय अधिनियम/नियमावली में संशोधन हेतु निम्नवत् एक कमिटी का गठन किया जाता है :-

- | | | |
|---|---|---------------------|
| 1. राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना | - | अध्यक्ष |
| 2. अपर सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना | - | सदस्य |
| 3. संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रिय परिवहन प्राधिकार, पटना | - | सदस्य |
| 4. उप सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना | - | सदस्य |
| 5. विशेष कार्य पदाधिकारी, परिवहन विभाग, बिहार, पटना | - | सदस्य-सह-सदस्य सचिव |
| 6. जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना | - | सदस्य |
| 7. मोटरयान निरीक्षक, परिवहन विभाग (मुख्यालय), बिहार, पटना | - | सदस्य |
| 8. प्रवर्तन अवर निरीक्षक, पटना | - | सदस्य |

समिति प्रचलित नियमों को वर्तमान परिपेक्ष्य में संशोधन करने की अनुशंसा करेगी।

Signature
सचिव, 29/1/18

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

संख्या- 02/विविध-04/2018 681

पटना, दिनांक-30/01/18

प्रतिलिपि :- सभी पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारी सहित), परिवहन विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रिय परिवहन प्राधिकार, पटना/जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना/प्रधान सचिव, परिवहन विभाग के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/राज्य परिवहन आयुक्त के आप्त सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/मोटरयान निरीक्षक, परिवहन विभाग (मुख्यालय), बिहार, पटना/प्रवर्तन अवर निरीक्षक, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Signature
सचिव, 29/1/18

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।